



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 जून, 2026

ज्येष्ठ 29, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7

संख्या 375/आठ-7-2026-8-7099/59-2025

लखनऊ, 19 जून, 2026

अधिसूचना

प०आ०-425

राज्य सरकार ने वाराणसी नगर में सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रोप-वे परियोजना के क्रियान्वयन का विनिश्चय किया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को प्राधिकृत किया है।

संयुक्त प्रांत आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1922 (यू० पी० अधिनियम संख्या 1, सन् 1922) की धारा 19 के अधीन यात्रियों, पशुओं अथवा माल के परिवहन हेतु टैरिफ दर अवधारित किये जाने का उपबंध है। तदनुसार वाराणसी नगर में रोप-वे/केबिल कार परियोजना हेतु टैरिफ दरों के अवधारण और क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप सं० 1093/(1/1191626/2025)/आठ-7-2025 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के द्वारा आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

उक्त समिति द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2026 को आयोजित बैठक में किये गये विनिश्चय के अनुसार निम्नलिखित टैरिफ दरें एतद्वारा अधिसूचित की जाती हैं:-

(क) यात्रा किराया हेतु टैरिफ दर-

(एक) एकल टिकट के लिए टैरिफ दर (जी०एस०टी० सहित)-

स्टेशन/किराया (₹ में)	वाराणसी कैंट	विद्यापीठ	रथयात्रा	गोदौलिया चौराहा
वाराणसी कैंट	-	₹ 20	₹ 30	₹ 50
विद्यापीठ	₹ 20	-	₹ 10	₹ 30
रथयात्रा	₹ 30	₹ 10	-	₹ 20
गोदौलिया चौराहा	₹ 50	₹ 30	₹ 20	-

(दो) काशी स्मार्ट पास धारकों हेतु टैरिफ दर (20 प्रतिशत छूट, जी0एस0टी0 सहित)–

स्टेशन/किराया (₹ में)	वाराणसी कैंट	विद्यापीठ	स्थयात्रा	गोदौलिया चौराहा
वाराणसी कैंट	-	₹ 16	₹ 24	₹ 40
विद्यापीठ	₹ 16	-	₹ 08	₹ 24
स्थयात्रा	₹ 24	₹ 08	-	₹ 16
गोदौलिया चौराहा	₹ 40	₹ 24	₹ 16	-

(तीन) उपर्युक्त टैरिफ दरों में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसे ₹ 5 के निकटतम गुणांक तक पूर्णांकित किया जायेगा। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से संचयी आधार पर स्वतः प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण– उदाहरणार्थ टैरिफ ₹ 20 एवं ₹ 50 की टैरिफ दरों के सम्बन्ध में, वार्षिक वृद्धि की गणना निम्नवत होगी:–

(क) टैरिफ ₹ 20 के लिए–

5% की वृद्धि के पश्चात, धनराशि ₹ 21 हो जाती है; तथापि, टैरिफ ₹ 25 पर नियत होगा।

इसी प्रकार, टैरिफ ₹ 50 के लिए:

5% की वृद्धि के पश्चात, धनराशि ₹ 52.50 हो जाती है; तथापि, टैरिफ ₹ 55 पर नियत होगा।

(ख) द्वितीय वर्ष हेतु–

टैरिफ ₹ 25 के लिए:

5% की वृद्धि के पश्चात, धनराशि ₹ 26.25 हो जाती है; तथापि, टैरिफ ₹ 30 पर नियत होगा।

इसी प्रकार, टैरिफ ₹ 55 के लिए:

5% की वृद्धि के पश्चात, धनराशि ₹ 57.75 हो जाती है; तथापि, टैरिफ ₹ 60 पर नियत होगा। अन्य सभी टैरिफ दरों के वार्षिक वृद्धि के लिए भी यही पद्धति लागू की जाएगी।

(ख) क्लॉक रूम हेतु टैरिफ–

वाराणसी कैंट रोप-वे स्टेशन पर टिकट धारकों के लिए क्लॉक रूम का प्रभार निम्नानुसार होगा:–

(एक) प्रथम 02 घण्टे हेतु निःशुल्क;

(दो) तत्पश्चात, 15 किलोग्राम तक के सामान हेतु ₹ 50 प्रति घण्टा (अधिकतम 48 घण्टे तक);

(तीन) 48 घण्टे के उपरान्त, सामान को "खोया-पाया" श्रेणी में चिन्हित किया जायेगा और तनुसार निस्तारित किया जायेगा।

(ग) काशी स्मार्ट पास–

काशी स्मार्ट पास धारक, यात्रा हेतु अधिसूचित एकबारीय टैरिफ दर पर 20% की छूट के हकदार होंगे।

(घ) प्रीमियम गोंडोला–

(एक) प्रीमियम गोंडोला का टैरिफ प्रति गोंडोला प्रति यात्रा (ट्रिप) ₹ 2000.00 होगा।

(दो) यदि कोई व्यक्ति, फर्म या संस्था, थोक में गोंडोला को आरक्षित कराना चाहता है, तो ऐसी सुविधा भी अनुमन्य होगी। इस हेतु टैरिफ, प्रति गोंडोला, प्रति यात्रा (ट्रिप) ₹ 1200.00 होगा।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

No. 375/VIII-7-2026-8-7099/59-2025

Dated Lucknow, June 19, 2026

THE State Government has decided to implement a ropeway project in Varanasi city for providing public transport facilities. For the implementation of the project, the State Government has authorized National Highways Logistics Management Limited.

Under section 19 of the United Provinces Aerial Ropeways Act, 1922 (U.P. Act no. 1 of 1922), there is a provision for determination of tariff rates for transportation of passengers, animals, or goods. Accordingly, for determination and implementation of tariff rates for the ropeway/cable car project in Varanasi city, a committee was constituted under the chairmanship of the Commissioner, Varanasi Division, Varanasi, vide Office Memorandum no. 1093/(I/1191626/2025)/Eight-7-2025 dated December 31, 2025 issued by Housing and Urban Planning Section-7, Government of Uttar Pradesh.

As per the decision taken in the meeting of the said committee held on February 11, 2026, the following tariff rates are hereby notified:

(A) Tariff Rates for Trip Fare—

(i) Tariff rates for single ticket (inclusive of GST):

Station/Fare (In INR)	Varanasi Cantt.	Vidyapeeth	Rath Yatra	Godowlia Chowk
Varanasi Cantt.	-	₹ 20	₹ 30	₹ 50
Vidyapeeth	₹ 20	-	₹ 10	₹ 30
Rath Yatra	₹ 30	₹ 10	-	₹ 20
Godowlia Chowk	₹ 50	₹ 30	₹ 20	-

(ii) Tariff rates for Kashi Smart Pass holders (20% discount, inclusive of GST):

Station/Fare (In INR)	Varanasi Cantt.	Vidyapeeth	Rath Yatra	Godowlia Chowk
Varanasi Cantt.	-	₹ 16	₹ 24	₹ 40
Vidyapeeth	₹ 16	-	₹ 08	₹ 24
Rath Yatra	₹ 24	₹ 08	-	₹ 16
Godowlia Chowk	₹ 40	₹ 24	₹ 16	-

(iii) Annual Increase in Tariff:

The above tariff rates shall be increased by 5% every year on April 1, rounded off to the nearest multiple of ₹ 5. This increase shall be automatically effective on a cumulative basis from April 1 each year.

Explanation: For example, in respect of tariff rates of ₹ 20 and ₹ 50, the annual increase shall be calculated as follows:—

(a) For tariff ₹ 20:

After a 5% increase, the amount becomes ₹ 21; however, the tariff shall be fixed at ₹ 25.

Similarly, for tariff ₹ 50:

After a 5% increase, the amount becomes ₹ 52.50; however, the tariff shall be fixed at ₹ 55.

(b) For the second year:

For tariff ₹ 25:

After a 5% increase, the amount becomes ₹ 26.25; however, the tariff shall be fixed at ₹ 30.

Similarly, for tariff ₹ 55:

After a 5% increase, the amount becomes ₹ 57.75; however, the tariff shall be fixed at ₹ 60.

The same method shall be applied for annual increase of all other tariff rates.

(B) Tariff for Cloak Room—

At Varanasi Cantt. Ropeway Station, the cloak room charges for ticket holders shall be as follows:—

1. First 2 hours - Free of cost;
2. Thereafter, ₹ 50 per hour for luggage up to 15 kg (maximum up to 48 hours);
3. After 48 hours, the luggage shall be categorized as "Lost and Found" and disposed of accordingly.

(C) Kashi Smart Pass—

Kashi Smart Pass holders shall be entitled to a 20% discount on the notified one-time tariff for travel.

(D) Premium Gondola—

1. Tariff for premium gondola shall be ₹ 2000.00 per gondola per trip.
2. If any individual, firm, or institution wishes to reserve a gondola in bulk, such facility shall also be permitted. For this, the tariff shall be ₹ 1200.00 per gondola per trip.

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.